been assessed taking into consideration all the on-going schemes and status of development of new projects in pipline, likely gestation period for completion of projects and likely availability of funds. Government has initiated serveral steps to maximise the capacity addition programme. These, *inter alia,* include strengthening of monitoring system, expeditious clearances to counter guarantee projects and faster financial closure by private sector projects, access to subsidised funds through Power Finance Corporation for State sector projects, adequate budgetary support to central sector projects, reforms and restructuring of State Electricity Boards etc.

**राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच विद्युत संबंधी विवाद**

3906. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकारों के बीच विद्युत से संबंधित विवादों को परस्पर सहमति से निपटाने में असफल रही है;

(ख) क्या सरकार, इन विद्युत संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार 10 मई, 1984 के समझौते के अनुसार केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से "फर्म बेसिस" पर अतिरिक्त विद्युत-उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

**विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम):** (क) और (ख) आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजा, चीन बांध परियोजना ऊपरा बारी दोआब नगर (यूडीसी) चरण-2 तथा शाहपुर कंडी जल विद्युत स्कीम से उत्पादित विद्युत में से हरियाणा तथा राजस्थान की हिस्सेदारी एवं इसी मामले में प्रत्येक राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किए जाने के मुद्दे। पर उच्चतम न्यायालय में इस मामले को भेजे जाने के लिए 10.5.1984 को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा केन्द्र सरकार के बीच एक समझौता किया गया था। उत्पश्चात, समझौते की सभी संभावनाओं की खोज किए जाने तक इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक न भेजे जाने का निर्णय लिया गया। इस विषय पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। विद्युत मंत्रालय 20 अक्तुबर, 1997 को आयोजित उत्तर मण्डल परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परस्पर सम्मत मानदंडों के संबंध में सर्व-सम्मति प्राप्त किए जाने की संभावना की खोज कर रहा है।

(ग)राजस्थान को राज्य को विद्युत मांग की पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है:—

(i) एनटीपीसी के अन्ता गैस-आधारित केन्द्र के कुल उत्पाद का एक तिहाई हिस्सा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को इसके हिस्से के अतिरिक्त अक्तूबर, 1993 से आबंटित किया गया है जिससे लगभग 110 मे.वा. का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है।

(ii) उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय स्टेशनों में आबंटित हिस्से में से 25% (लगभग 200 मे. वा.) का आवंटन।

(iii) केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से प्रदान किया गया अतिरिक्त आबंटन निम्नवत है:—

| | |
|---|---|
| दादरी गैस विद्युत केन्द्र | —135 मे.वा. |
| चमेरा एचपीएस | — 89 मे.वा. |

तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को सुनिश्चित आधार पर अतिरिक्त विद्युत आबंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

**Power Share of Rajasthan**

3907. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Government of Rajasthan has raised the issue of power share before the Central Government; and

(b) if so, what steps have been taken by the Central Government for ensuring the share of Rajasthan, as per agreement dated 10th May, 1984 in the Hydel Power Projects taken up by Punjab on Ravi and Beas Waters?